



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 18 दिसम्बर, 2020

अग्रहायण 27, 1942 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश शासन

नगर विकास अनुभाग-1

संख्या 2441/9-1-2020-74 टी०ए०-20

लखनऊ, 18 दिसम्बर, 2020

अधिसूचना

प०आ०-493

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 3 की उपधारा (2) के साथ पठित भारत का संविधान के अनुच्छेद 243-थ के खण्ड (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और अधिसूचना संख्या 565 व 567/11-54(टी०)मुआरिखा, दिनांक 25 फरवरी, 1925 और इस निमित्त जारी अन्य पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं का आंशिक उपान्तर करके, राज्यपाल नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को नगर पंचायत अमिला, जिला मऊ के संक्रमणशील क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने के लिये जिस अधिसूचना को जारी करने का प्रस्ताव करती हैं, उसका निम्नलिखित प्रारूप, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार समस्त सम्बन्धित की सूचना के लिए और उसके सम्बन्ध में आपत्तियाँ और सुझाव आमन्त्रित किये जाने की दृष्टि से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

2-प्रस्तावित अधिसूचना के सम्बन्ध में आपत्तियाँ या सुझाव, यदि कोई हों, सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास अनुभाग-1, बापू भवन, लखनऊ को सम्बोधित करके लिखित रूप में प्रेषित किये जाने चाहिए। केवल उन्हीं आपत्तियों और सुझावों पर विचार किया जायेगा जो इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर प्राप्त होंगी।

अधिसूचना का प्रारूप

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 3 की उपधारा (2) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 243-थ के खण्ड (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और अधिसूचना संख्या 565 व 567/11-54(टी०)मुआरिखा, दिनांक 25 फरवरी, 1925 और इस निमित्त जारी की गई

अन्य पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं का आंशिक उपान्तर करके, राज्यपाल भारत का संविधान के भाग 9-क के प्रयोजनार्थ नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को नगर पंचायत अमिला, जिला मऊ के संक्रमणशील क्षेत्र में सम्मिलित करती हैं।

अनुसूची

नगर पंचायत अमिला, जिला मऊ में सम्मिलित किये जाने वाले क्षेत्र

(1) राजस्व ग्राम अमिला उत्तर दिशा की गाटा संख्या-563 से 836 तक
(2) राजस्व ग्राम अमिला पश्चिम दिशा की गाटा संख्या-1 से 349 तक, 1000 से 1211 तक, 2026 से 2188 तक
(3) राजस्व ग्राम अमिला पूरब दिशा की गाटा संख्या-3000 से 4614 तक 1355 से 1675 तक
(4) राजस्व ग्राम अमिला दक्षिण दिशा की गाटा संख्या-1676 से 2025 तक, 2189 से 2999 तक
(5) राजस्व ग्राम चुम्मानार की गाटा संख्या-1 से 376 तक
(6) राजस्व ग्राम करपिया की गाटा संख्या-1 से 632 तक
(7) राजस्व ग्राम सरया मु० हेमई की गाटा संख्या-1 से 499 तक
(8) राजस्व ग्राम हेमई की गाटा संख्या-1 से 695 तक

आज्ञा से,
दीपक कुमार,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 2441/IX-1-2020-74T.A.-20, dated December 18, 2020:

No. 2441/IX-1-2020-74T.A.-20

Dated Lucknow, December 18, 2020

THE following draft notification which the Governor proposes to issue in exercise of the powers under clause (2) of Article 243-Q of the Constitution of India *read* with sub-section (2) of section 3 of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P. Act no. II of 1916) and in partial modification of notification no. 565 and 567/11-54 (T.)Muarikha, dated February 25, 1925 and other previous notifications issued in this behalf, for including the areas specified in the Schedule below in the transitional area of Nagar Panchayat Amila, District Mau is hereby published for the information of all concerned and with a view to inviting objections or suggestions in respect thereof as required under sub-section (1) of section 4 of the said Act.

2. Objections or suggestions, if any, with respect to the proposed notification should be sent in writing addressed to the Sachiv, Uttar Pradesh Shasan, Nagar Vikas Anubhag-1, Bapu Bhawan, Lucknow. Only such objections and suggestions shall be taken into consideration as are received within fifteen days from the date of publication of this notification in the *Gazette*.

DRAFT NOTIFICATION

In exercise of the powers under clause (2) of Article 243-Q of the Constitution *read* with sub-section (2) of section 3 of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P. act no. II of 1916) and in partial modification of notification no. 565 and 567/11-54 (T.)Muarikha, dated February 25, 1925 and other previous notifications issued in this behalf, the Governor is pleased to include the areas specified in the Schedule below in the transitional area of Nagar Panchayat Amila, District Mau for the purposes of Part IX-A of the Constitution of .

SCHEDULE

Area being included in Nagar Panchayat Amila in District Mau

(1) Revenue Village Amila North Direction Gata Nos.-563 to 836
(2) Revenue Village Amila East Direction Gata Nos.-1 to349, 1000 to 1211, 2026 to 2188
(3) Revenue village Amila East Direction Gata Nos.- 3000 to 4614, 1355 to 1675
(4) Revenue Village Amila South Direction Gata Nos.-1676 to 2025, 2189 to 2999

(5) Revenue Village Chummanar-1 to 376
(6) Revenue Village Karpiya-1 to 632
(7) Revenue Village Sarya Mu. Hemayi-1 to 499
(8) Revenue Village Hemayi-1 to 695

By order,
DEEPAK KUMAR,
Pramukh Sachiv.